न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
56 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	14.06.2023	15.09.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन निवासी इन्द्रा कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री पवन एजेन्सी ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक
2—मैसर्स श्री पवन एजेन्सी ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक
3—श्री सुरेश पुत्र श्री सतपाल निवासी सुल्तानपुर, हिसार, हरियाणा प्रोपरायटर मैसर्स चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी हनुमान मन्दिर के पास ग्राम पोस्ट अमरावली खेडा जिला जिन्द हरियाणा
3—मैसर्स चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी हनुमान मन्दिर के पास ग्राम पोस्ट अमरावली खेडा जिला जिन्द हरियाणा

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी श्री संजय कुमार जैन उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 15.09.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2022 को समय 01:00 पीएम पर मैसर्स श्री पवन एजेन्सी ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री संजय कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ गोदाम में कागज के 7 कार्टून में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500—500 एम.एल. पैक **घी (डयेरी टच ब्राण्ड)** लगभग 120 लीटर रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री संजय कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री संजय कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह घी (डयेरी टच ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 81 एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त 2022 थी, वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. पैक के चार मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (डयेरी टच ब्राण्ड)** के 4 पैकेट के एक–एक पैक वाले चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3303, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3303 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की एवं शेष बचे खाद्य पदार्थ घी डेयरी टच ब्राण्ड कुल मात्रा 115.5 लीटर को नियमानुसार सीज कर श्री संजय कुमार जैन की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र प्रेषित कर वारन्टी बिल चाहा जिस पर विक्रेता ने बतौर वारन्टी मैसर्स चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी हनुमान मन्दिर के पास ग्राम पोस्ट अमरावली खेडा जिला जिन्द हरियाणा का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3073 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./3044/एक्ट/2022/3068 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (डयेरी टच ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zz)(iv) व 3(1)(zz)(xi) के अनुसार **असुरक्षित (Unsafe)** व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** तथा धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में श्री संजय कुमार जैन ने पुनः नमूना जांच हेतु अपील दायर की जिस पर उक्त नमूना निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर में जांच हेतु रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भिजवाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1497 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए (17एफ)/2023 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **घी (डयेरी टच ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) व 3(1)(zf) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री संजय कुमार जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे तथा सीज हुए माल को सीज मुक्त करवाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (डयेरी टच ब्राण्ड)** विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे तथा कथन किया कि उक्त घी अवमानक स्तर का पाया गया है। अतः सीज किए गए घी को निस्तारित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (डयेरी टच ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 1,20,000/– (अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह जब्तशुदा घी को निस्तारित करने की कार्यवाही करे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.09.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0